

अनुदान संख्या 26 - उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 26 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	55060,34,00		
			55073,04,00	-1831,08,53
पूरक	Supplementary	12,70,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			297,57,65
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	18,01,00		
			18,02,00	-15,07,68
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			12,67,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹183108.53 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1270.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹183108.53 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1270.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services			
मू.	O.	14417.00		
			13535.00	12207.62
				-1327.38
पु.	R.	-882.00		
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"			
सामान्य शिक्षा	General Education			
मू.	O.	2803439.00		
पू.	S.	1266.00	3046016.50	2939008.27
पु.	R.	241311.50		-107008.23
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"			
तकनीकी शिक्षा	Technical Education			
मू.	O.	2186329.00		
पू.	S.	2.00	2381635.84	2336920.58
पु.	R.	195304.84		-44715.26
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	325620.00		
पू.	S.	2.00	300.00	..
पु.	R.	-325322.00		-300.00
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants - in - aid to State Governments			
मू.	O.	164879.00		
			36059.01	36059.00
पु.	R.	-128819.99		-0.01

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"	
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants - in - aid to Union Territory Governments with Legislature	
मू.	O.	11350.00
पु.	R.	-11350.00

(I) बाह्य शीर्षों के अंतर्गत ₹349389.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹344929.00 लाख निम्न लिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थी :-

(I) Provision of ₹349389.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under seventy two heads; of these ₹344929.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"

(A) Major Head "2202"

(क) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा" -

(a) "University and Higher Education" -

(i) "उच्चतर शिक्षण संस्थान - शास्त्री इंडो - कनाडा संस्थान" - ₹716.00 लाख - व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण।

(i) "Institutes of Higher Learning - Shastri Indo-Canadian Institute" - ₹716.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन" - ₹1445.00 लाख,

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Mission on Teachers and Teaching" - ₹1445.00 lakhs;

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन" - ₹715.00 लाख; और

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - National Mission on Teachers and Teaching" - ₹715.00 lakhs; and

(iv) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन" - ₹6390.00 लाख।

(iv) "Other Expenditure - National Mission on Teachers and Teaching" - ₹6390.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना के समीक्षा अधीन होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to the scheme being under review.

- | | |
|--|---|
| (ख) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान” – ₹851.00 लाख – संस्थान के अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण। | (b) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Bharatiya Bhasha University & Institute of Translation” - ₹851.00 lakhs - due to Institute being in early stage of establishment. |
| (खा) मुख्य शीर्ष “2203” – “अन्य व्यय – अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (जी आई ए एन)” – ₹669.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण। | (B) Major Head “2203” - “Other Expenditure - Global Initiative for Academic Network (GIAN)” - ₹669.00 lakhs - due to non-receipt of proposals. |
| (गा) मुख्य शीर्ष “2552” – | (C) Major Head “2552” - |
| (क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” – | (a) “University and Higher Education - Assistance to Universities” - |
| (i) “आई जी एन ओ यू और राज्य ओपन विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1053.00 लाख | (i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1053.00 lakhs; |
| (ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)” – ₹19159.00 लाख; | (ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹19159.00 lakhs; |
| (iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹11315.74 लाख; | (iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹11315.74 lakhs; |
| (iv) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹117122.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); | (iv) “Grants to Central Universities” - ₹117122.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs); |
| (ख) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय” – | (b) “University and Higher Education - Other Expenditure” - |
| (i) “राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन” – ₹710.00 लाख; | (i) “National Mission on Teachers and Teaching” - ₹710.00 lakhs; |
| (ii) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1712.00 लाख | (ii) “Student Financial Aid” - ₹1712.00 lakhs; |

- (iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹630.00 लाख।
- (ग) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹1792.00 लाख।
- (घ) “तकनीकी शिक्षा – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन आई टी टी आर एस)” – ₹538.00 लाख;
- (ङ) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग – तकनीकी कॉलेज और संस्थान” –
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹47060.00 लाख;
- (ii) “भारतीय प्रबंध संस्थान” – ₹815.00 लाख;
- (iii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई)” – ₹2370.00 लाख;
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹16471.00 लाख;
- (v) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी एस)” – ₹1786.00 लाख;
- (vi) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) और आई आई ई एस टी” – ₹56090.00 लाख।
- (च) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹2455.00 लाख;
- (छ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक” –
- (iii) “Assistance to Other Institutions” - ₹630.00 lakhs;
- (c) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian Languages” - ₹1792.00 lakhs;
- (d) “Technical Education - Training - National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)” - ₹538.00 lakhs;
- (e) “Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes” -
- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹47060.00 lakhs;
- (ii) “Indian Institutes of Management” - ₹815.00 lakhs;
- (iii) “All India Council for Technical Education (AICTE)” - ₹2370.00 lakhs;
- (iv) “Assistance to other institutions” - ₹16471.00 lakhs;
- (v) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - ₹1786.00 lakhs;
- (vi) “National Institutes of Technology (NITs) and IIST” - ₹56090.00 lakhs;
- (f) “General (General Education) - Other Expenditure - Digital India e-learning” - ₹2455.00 lakhs;
- (g) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- | | |
|---|---|
| (i) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1366.00 लाख; | (i) “Assistance to other institutions” - ₹1366.00 lakhs; |
| (ii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹560.00 लाख; | (ii) “Digital India e-learning” - ₹560.00 lakhs; |
| (iii) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹8135.00 लाख; | (iii) “Grants to Central Universities” - ₹8135.00 lakhs; |
| (iv) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) और आई आई ई एस टी को सहायता” – ₹4300.00 लाख; | (iv) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹4300.00 lakhs; |
| (v) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) को सहायता” – ₹4258.00 लाख; | (v) “University Grants Commission (UGC)” - ₹4258.00 lakhs; |
| (vi) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹7363.37 लाख; | (vi) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹7363.37 lakhs; |
| (vii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी एस)” – ₹3123.00 लाख; | (vii) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹3123.00 lakhs; |
| (ज) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” – | (h) “Tribal Area Sub-Plan” - |
| (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)” – ₹1517.00 लाख; | (i) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹1517.00 lakhs; |
| (ii) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹4145.00 लाख; | (ii) “Grants to Central Universities” - ₹4145.00 lakhs; |
| (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) और आई आई ई टी को सहायता” – ₹2310.00 लाख; | (iii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹2310.00 lakhs; |
| (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹633.00 लाख; | (iv) “Assistance to other institutions” - ₹633.00 lakhs; |
| (v) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)” – ₹2183.00 लाख; और | (v) “University Grants Commission (UGC)” - ₹2183.00 lakhs; and |

(vi) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1820.89 लाख।

(vi) “National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan” - ₹1820.89 lakhs.

उपर्युक्त उनतीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twenty nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(घा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें”-

(D) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹8796.20 लाख;

(a) “Central Assistance/Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹8796.20 lakhs;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹1702.58 लाख; और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹1702.58 lakhs; and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय शिक्षा अभियान – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹851.22 लाख।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹851.22 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals from Union Territories.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – उच्चतर शिक्षा विभाग” के अंतर्गत – ₹2209.38 लाख की बचत (₹14417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, विज्ञापन, प्रचार और प्रशिक्षण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat-Department of Higher Education” - saving of ₹2209.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14417.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, advertising, publishing and training.

(III) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(III) Under Major Head “2202” - savings occurred under the following heads:

(का) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(A) “University and Higher Education” -

(क) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

- (i) “केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश” – ₹3909.93 लाख (₹5066.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।
- (ii) “आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय” – ₹3215.93 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए परिसर भवनों का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण हुई।
- (iii) “उच्चतर शिक्षा” – ₹67065.79 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹162754.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया लागू होने, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और इस योजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
- (iv) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹6022.16 लाख की बचत (₹6093.97 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया शुरू होने के बाद केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए राज्यों की पात्रता नहीं होने के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजन”–

- (i) “उच्चतर शिक्षा” – ₹5670.97 लाख की बचत (₹34000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया कार्यान्वित होने और प्रस्ताव प्राप्त

(a) “Assistance to Universities” -

- (i) “Central University, Andhra Pradesh” - saving of ₹3909.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5066.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction activities.
- (ii) “Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities” - saving of ₹3215.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to non- commencement of construction work of new campus buildings.
- (iii) “Higher Education” - saving of ₹67065.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹162754.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to implementation of revised procedure for flow of funds, non-receipt of proposals and non-finalization of the scheme.
- (iv) “National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan” - saving of ₹6022.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6093.97 lakhs) was due to non-eligibility of states for release of Central Share after introduction of revised procedure of release of funds.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (i) “Higher Education” - saving of ₹5670.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34000.00 lakhs) was due to implementation of revised

नहीं होने के कारण हुई।

procedure for flow of funds and non-receipt of proposals.

(ii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹963.38 लाख की बचत (₹982.05 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया शुरू होने के कारण केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए राज्यों की पात्रता नहीं होने के कारण हुई।

(ii) “National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan” - saving of ₹963.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹982.05 lakhs) was due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds.

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – उच्चतर शिक्षा” – ₹1912.40 लाख की बचत (₹16600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी एम गर्ल्स होस्टल के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा ग्लू ग्रांट स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Higher Education” - saving of ₹1912.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16600.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for PM Girls Hostel and non-finalisation of Glue Grant Scheme.

(खा) “भाषा विकास” –

(B) “Language Development” -

(क) “निर्देशन और प्रशासन” –

(a) “Direction and Administration” -

(i) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹882.87 लाख की बचत (₹3087.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(i) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers” - saving of ₹882.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3087.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(ii) “अन्य योजनायें” – ₹909.31 लाख की बचत (₹1048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिन्दी निदेशालय के अन्य शुल्कों के लिए कम व्यय होने के कारण हुई।

(ii) “Other Schemes” - saving of ₹909.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1048.00 lakhs) was due to less expenditure towards other charges of the Directorate of Hindi.

(ख) “आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य को प्रोत्साहन – भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान” – ₹1935.06 लाख की बचत (₹20608.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टी एस ए

(b) “Promotion of Modern Indian Language and Literature - Grants for promotion of Indian language” - saving of ₹1935.06 lakhs (against the sanctioned provision of

के अंतर्गत अव्ययित राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

₹20608.00 lakhs) was due to receipt of unspent amount under TSA.

(ग) “अन्य व्यय – केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹695.36 लाख की बचत (₹1773.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) “Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres” - saving of ₹695.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1773.00 lakhs); and

(गा) “सामान्य”

(C) “General”

(क) “अनुसंधान” –

(a) “Research” -

(i) “राष्ट्रीय मानविकी और सामाजिक विज्ञान उत्कृष्टता पहल” – ₹8392.19 लाख की बचत (₹28168.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) “National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences” - saving of ₹8392.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28168.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less receipt of viable proposals.

(ii) “सामाजिक विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीतिगत अनुसंधान (आई एम पी आर ई एस एस)” – ₹1116.80 लाख की बचत (₹1126.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(ii) “Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)” - saving of ₹1116.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1126.00 lakhs) was due to the “Third Party Evaluation” of scheme was under process.

(ख) “छात्रवृत्ति – छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹44763.23 लाख की बचत (₹148255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Scholarships - Student Financial Aid” - saving of ₹44763.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹148255.00 lakhs); and

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹8372.16 लाख की बचत (₹25390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Student Financial Aid” - saving of ₹8372.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25390.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें जम्मू और कश्मीर के लिए ब्याज राजसहायता और छात्रवृत्ति योजना के

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims under Interest Subsidy

तहत कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Scheme and Scholarship scheme for Jammu and Kashmir.

- (घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” – ₹3351.51 लाख की बचत (₹13140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के दावा आधारित होने के नाते कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (द) “Tribal Area Sub-Plan - Student Financial Aid” - saving of ₹3351.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13140.00 lakhs) was due to receipt of less claims scheme being claim based.
- (ङ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आयोजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता” – ₹3196.09 लाख की बचत (₹10159.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (e) “International Co-operation - Planning, Administration & Global Engagement” - saving of ₹3196.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10159.00 lakhs);
- (च) “अन्य व्यय” –
- (f) “Other Expenditure” -
- (i) “डिजिटल भारत ई लर्निंग” – ₹1459.22 लाख की बचत (₹28783.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (i) “Digital India e-Learning” - saving of ₹1459.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28783.00 lakhs);
- (ii) “भारत में अध्ययन” – ₹675.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;
- (ii) “Study in India” - saving of ₹675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);
- (iii) “चैंपियन सेवा क्षेत्र” – ₹5564.43 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (iii) “Champion Services Sector” - saving of ₹5564.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and
- (IV) मुख्य शीर्ष “2203” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-
- (IV) Under Major Head “2203” - savings occurred under the following heads:
- (का) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवोन्मेष” – ₹2659.54 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक सहित ₹9184.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (A) “Research - Research and Innovation” - saving of ₹2659.54 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9184.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh); and
- (खा) “प्रशिक्षण” –
- (B) “Training” -
- (क) “राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन आई टी टी आर एस)” – ₹2481.48
- (a) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)” - saving

लाख की बचत (₹19662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

of ₹2481.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19662.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों के नहीं मिलने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due to non-receipt of viable proposals.

(ख) “अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वजीफा” – ₹7400.83 लाख की बचत (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वजीफे के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(b) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends” - saving of ₹7400.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards stipends.

(गा) “छात्रवृत्ति – एशियाई फ़ैलोशिप” – ₹773.90 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में छात्रों के शामिल होने के कारण हुई।

(C) “Scholarships - ASEAN Fellowship” - saving of ₹773.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to less joining of students.

(घा) “अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान” –

(D) “Engineering/Technical Colleges and Institutes” -

(क) “भारतीय प्रबंध संस्थान” – ₹4930.00 लाख की बचत (₹58277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण अभिकर्ता ऋण की पुनर्अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(a) “Indian Institutes of Management” - saving of ₹4930.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58277.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards repayment of Higher Education Financing Agency loan.

(ख) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी एस)” – ₹3069.20 लाख की बचत (₹46466.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण हुई।

(b) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - saving of ₹3069.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46466.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals.

(ग) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर)” – ₹2309.16 लाख की बचत (₹124453.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और सी पी डब्ल्यू डी/संस्थानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(c) “Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)” - saving of ₹2309.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124453.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards CPWD/Institutes.

(घ) “योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एस पी ए एस)” – ₹3563.00 लाख की बचत (₹13990.00 लाख के

(d) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹3563.00 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव मिलने के कारण हुई।

the sanctioned provision of ₹13990.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(ड़) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(E) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी एस)” - ₹609.00 लाख की बचत (₹3858.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा भूमि सौंपने में देरी किए जाने के कारण आईआईटी वडोदरा, रांची, रायचुर द्वारा कम निधियों की आवश्यकता की वजह से हुई।

(a) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - saving of ₹609.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3858.00 lakhs) was due to requirement of less funds by IIT Vadodra, Ranchi, Raichur owing to delay in handing over of land by the State Governments.

(ख) “उद्यमशीलता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वजीफा कार्यक्रम” - ₹1700.19 लाख की बचत (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends” - saving of ₹1700.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs); and

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और वजीफा कार्यक्रम” - ₹900.03 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(F) “Tribal Area Sub-Plan - Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends” - saving of ₹900.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वजीफों के लिए कम मात्रा में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Saving under the above two heads were due to less receipt of stipend claims.

(V) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें”- बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(V) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” - ₹87557.87 लाख की बचत (₹113589.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Central Assistance/Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹87557.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113589.09 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” - ₹24379.17 लाख की बचत (₹31452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹24379.17 lakhs (against the sanctioned provision of

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)” – ₹16990.63 लाख की बचत (₹19836.91 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया शुरू होने के कारण राज्यों की पात्रता नहीं होने और राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹4233.50 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से लेकर 98 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹622786.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1270.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(i) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)” – ₹66560.91 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹39105.18 लाख हुआ।

(2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹256628.85 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹222692.75 लाख हुआ।

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

₹31452.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan-National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹16990.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19836.91 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-eligibility of states for release of Central Share owing to introduction of revised procedure of release of funds and receipt of less proposals from states.

(VI) Under eleven heads savings of ₹4233.50 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 98 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹622786.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1270.00 lakhs under the following major heads:

(A) Major Head “2202” -

(a) “University and Higher Education” -

(i) “Assistance to Universities” -

(1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹66560.91 lakhs. Actual excess, however, was ₹39105.18 lakhs.

(2) “Grants to Central Universities” - ₹256628.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹222692.75 lakhs.

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)” – ₹9595.56 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3039.55 लाख हुआ।	(1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹9595.56 lakhs. Actual excess, however, was ₹3039.55 lakhs.
(2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹36594.68 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹32693.71 लाख हुआ।	(2) “Grants to Central Universities” - ₹36594.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹32693.71 lakhs.
(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –	(iii) “Tribal Area Sub-Plan” -
(1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी)” – ₹5527.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1260.93 लाख हुआ।	(1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹5527.53 lakhs. Actual excess, however, was ₹1260.93 lakhs.
(2) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹20823.98 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18753.51 लाख हुआ।	(2) “Grants to Central Universities” - ₹20823.98 lakhs. Actual excess, however, was ₹18753.51 lakhs.
(ख) “सामान्य” –	(b) “General” -
(i) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – डिजिटल भारत ई-शिक्षण” – ₹1674.32 लाख।	(i) Special Component Plan for Scheduled Castes - Digital India e-Learning” - ₹1674.32 lakhs.
(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – डिजिटल भारत ई-लर्निंग” – ₹751.00 लाख।	(ii) “Tribal Area Sub-Plan - Digital India e-Learning” - ₹751.00 lakhs.
(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –	(B) Major Head “2203” -
(क) “छात्रवृत्ति – छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹6382.00 लाख।	(a) “Scholarships - Student Financial Aid” - ₹6382.00 lakhs.
(ख) “अभियांत्रिकी / तकनीकी कॉलेज और संस्थान” –	(b) “Engineering/Technical Colleges and Institutes” -
(i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी)” – ₹104963.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹88656.48 लाख हुआ।	(i) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹104963.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹88656.48 lakhs.

- (ii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹14534.39 लाख।
- (iii) “भारतीय विज्ञान संस्थानों (आई आई एससी एस) को सहायता” – ₹7335.08 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹6263.88 लाख हुआ।
- (iv) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी) और आई आई ई एस टी को सहायता” – ₹60528.01 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹41437.57 लाख हुआ।
- (ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹11146.45 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹9367.05 लाख हुआ।
- (ii) “छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹3216.00 लाख।
- (iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1188.71 लाख।
- (iv) “भारतीय विज्ञान संस्थानों (आई आई एस सी)” – ₹2565.90 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2233.41 लाख हुआ।
- (v) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी एस) और आई आई ई एस टी को सहायता” – ₹4260.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1771.71 लाख हुआ।
- (घ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹4045.39 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹3207.90 लाख हुआ।
- (ii) “Assistance to other Institutions” - ₹14534.39 lakhs.
- (iii) “Support to Indian Institute of Science (IISc)” - ₹7335.08 lakhs. Actual excess, however, was ₹6263.88 lakhs.
- (iv) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹60528.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹41437.57 lakhs.
- (c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹11146.45 lakhs. Actual excess, however, was ₹9367.05 lakhs.
- (ii) “Student Financial Aid” - ₹3216.00 lakhs.
- (iii) “Assistance to other Institutions” - ₹1188.71 lakhs.
- (iv) “Indian Institute of Science (IISc)” - ₹2565.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹2233.41 lakhs.
- (v) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹4260.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1771.71 lakhs.
- (d) “Tribal Area Sub-Plan” -
- (i) “Indian Institutes of Technology” - ₹4045.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹3207.90 lakhs.

- (ii) “छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹1602.00 लाख।
- (iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹551.90 लाख।
- (iv) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन आई टी एस) और आई आई ई एस टी को सहायता” – ₹2310.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹739.95 लाख हुआ।

- (ii) “Student Financial Aid” - ₹1602.00 lakhs.
- (iii) “Assistance to other Institutions” - ₹551.90 lakhs.
- (iv) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST” - ₹2310.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹739.95 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई :-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “2202” – “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता – आई जी एन ओ यू और राज्य ओपन विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹600.95 लाख का अधिक व्यय (₹8147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) Major Head “2202” - “University and Higher Education - Assistance to Universities - Assistance to IGNOU and State Open Universities” - excess of ₹600.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8147.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” – “अभियांत्रिकी/तकनीकी कालेज और संस्थान – अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान (ए आई सी टी ई)” – ₹2370.00 लाख का अधिक व्यय (₹30830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) Major Head “2203” - “Engineering/ Technical Colleges and Institutes - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)” - excess of ₹2370.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30830.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	1801.00			
पू.	S.	1.00	535.00	294.32	-240.68
पु.	R.	-1267.00			
(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।			(I) Provision of ₹2.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilized under two heads.		
(II) "सामान्य शिक्षा" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-			(II) Under "General Education" - savings occurred under the following heads:-		
(का) "भाषा विकास - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र" - ₹509.41 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी आई आई एल के विभिन्न केंद्रों में व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।			(A) "Languages Development - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" - saving of ₹509.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure under various Language Centers of CIIL.		
(खा) "सामान्य - उच्चतर शिक्षा विभाग" - ₹996.27 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत अवसंरचना के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।			(B) "General - Department of Higher Education" - saving of ₹996.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards capital infrastructure.		